

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर  
पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.  
राजस्व आवेदन संख्या - 35/2025  
उनवान

1. अमती पत्नी कासम जाति बंनाम 1. तहसीलदार रामसर।  
मुसलमान निवासी गागरिया गांव  
तहसील रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0भू0राज0 अधिनियम  
आदेश दिनांक 14.01.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अमती पत्नी कासम जाति मुसलमान निवासी गागरिया गांव तहसील रामसर। का खातेदारी खेत खसरा संख्या 57 रकबा 2.5819 हेक्टेयर मौजा डबे का पार पटवार मण्डल पांधी का पार में आया हुआ है। जिसमें सयुक्त खातेदारी में प्रार्थी का नाम अमती पत्नी कासम की जगह अयति पत्नी कासम भूलवंश दर्ज हो गया। राजस्व रिकॉर्ड यथा जमाबंदी ऑनलाईन करते समय अतः राजस्व रिकॉर्ड में पुनः सही इद्रार्ज सही नाम अमती पत्नी कासम करवाने का प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 14.01.2025 को प्रस्तुत किया गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं समस्त दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा संख्या 57 रकबा 2.5819 हेक्टेयर मौजा डबे का पार पटवार मण्डल पांधी का पार के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का अमती पत्नी कासम नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 14.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।



अनिल कुमार  
उपखण्ड अधिकारी, रामसर

दिनांक 14.01.2025

क्रमांक : रीडर/2025/10-12  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर।
2. प्रार्थी अमती पत्नी कासम
3. पटवारी हल्का पांधी का पार।

उपखण्ड अधिकारी रामसर  
उपखण्ड अधिकारी  
रामसर